-1-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर,

1– सरला पुत्री मुलायम सिंह ठाकुर , निग० 2561-I/16

2– लोकपाल सिंह तनय हरदेव सिंह ठाकुर ,

दोंनों निबासी– ग्राम ढिमरपुरा, तह0 ओरछा, जिला टीकमगढ़,

हाल निबासी–मेन रोड ओरछा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.............आवेदकगण

वनाम

म0 प्र0 शासन, द्वारा तहसीलदार ओरछा, जिला टीकमगढ़

.... अनावेदक

स्वमेव निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह स्वमेव निगरानी तहसीलदार ओरछा को आवेदकगण को प्रदत्त पटटों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश जारी करने वावद प्रस्तुत कर रहे हैं।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक कमांक एक व दो को दिनांक 18/02/1970 को, नायब तहसीलदार ओरछा, द्वारा अपने प्र0क0 48/अ–19/1969–70 तथा 49/अ–19/1969–70 पर ग्राम बबेड़ी जंगल स्थित भूमि खसरा नंबर 37 जुज में से 4.000, 4.000 हैक्टेयर के पटटा भूमि स्वामी हक के प्रदान किये गये थे। आवेदकगण तभी से उपरोक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं।

3– यह कि आवेदकगण उपरोक्त भूमि पर काफी लंबे समय से काबिज चले आ रहे थे। उनके द्वारा उपरोक्त भूमि पर अपना कब्जा लगातार बरकरार रखा है। उपरोक्त रकवा काफी बड़ा था, जिसमें से और लोगों को भी बंटन हो चुका है, जिनके नाम भी राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुके हैं। इस प्रकार उपरोक्त खसरा नंबर 37 जुज में से खसरा नंबर 37/7/1 बर्तमान में भी शासकीय नाम पर दर्ज है।

4– यह कि आवेदकगण को यह जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि पर पटटा मिलने के बाद उनके नाम दर्ज कर दिये गये होंगे। क्योंकि तहसीलदार द्वारा उपरोक्त

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2561 /1/2016 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **सरला सिंह व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-8-16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह स्वमेव निगरानी तहसीलदार ओरछा को, आवेदकगण को प्रदत्त पटटों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने/दर्ज कराने का आदेश जारी करने वावद प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण की ओर से उनके बिद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया एवं शासन की ओर से पैनल लॉयर अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। निगरानी के साथ प्रस्तुत सूचीबद्व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 2– प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, आवेदक कमांक एक व दो को दिनांक 18/02/1970 को, नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा अपने प्र0क0 48/अ–19/1969–70 तथा 49/अ–19/1969–70 पर ग्राम बबेड़ी जंगल स्थित भूमि खसरा नंबर 37 जुज में से 4.000, 4.000 हैक्टेयर के पटटा भूमि स्वामी हक के फार्म ए में प्रदान किये गये थे। जिनका पटवारी द्वारा रिकॉर्ड में अमल नहीं किया गया। जिसे रिकॉर्ड में अमल करवाने का आदेश जारी करने वावद यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 2561 /1/2016 बताया गया कि उपरोक्त भूमि पर काफी लंबे समय से काबिज चले आ रहे थे। उनका उपरोक्त भूमि पर कब्जा लगातार बरकरार है। उपरोक्त रकवा काफी बड़ा था, जिसमें से कई और लोगों को भी बंटन/ब्यवस्थापन हो चुका है, जिनके नाम भी राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुके हैं। इस प्रकार उपरोक्त खसरा नंबर 37 जुज में से खसरा नंबर 37/7/1 रकवा 22.144 हैक्टेयर बर्तमान में भी शासकीय नाम पर दर्ज है। जिस पर आवेदकगण के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जाबे। यह भी बतलाया कि नायब तहसीलदार द्वारा उपरोक्त पटटे विधिवत रूप से जारी करके उसका इंद्राज दायरा रजिस्टर बर्ष 1969–70 में कमांक 48 एवं 49 पर करवाया था। पटवारी को भी उपरोक्त पटटा दर्ज करने का आदेश तहसीलदार द्वारा तत्समय ही जारी कर दिया गया था। किन्तु पटवारी द्वारा उपरोक्त पटटों का इंद्राज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया। आवेदकगण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पटटा प्रदान करने वावद प्रस्तुत आवेदनपत्र, बंटन आदेश तथा पटटा की प्रमाणित प्रतिलिपियां विधितव रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करके तत्समय ही प्राप्त कर लीं थीं, जो उनके पास असल आज भी हैं। 4– आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर मैंने निगरानी के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समय असल पटटा, नायब तहसीलदार ओरछा को पटटा जारी करने वावद तत्समय प्रस्तुत आवेदनपत्र एवं नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा पटटा जारी करने संबंधी आदेश दिनांक 18/02/1970 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत की गई तथा उनकी प्रमाणित छायाप्रतियां निगरानी के साथ संलग्न कीं गईं। असल पटटा एवं आदेश की	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(3) निगरानी प्रकरण क्रमांक– 2561 /1/2016 प्रामाणित प्रतिलिपि अवलोकन के उपरांत बापिस किये गये। आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी के साथ नायब तहसीलदार निवाड़ी के दायरा रजिस्टर बर्ष 1969–70 के हेड अ–19 के प्र0 क0 47 से 49 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई है, जिसे प्रकारण में संलग्न किया गया। जिसमें आवेकगण को प्र0क0 48 तथा 49 पर दिनांक 18/02/1970 को खसरा कमांक 37 जु0 रकवा 4.000, 4.000 हैक्टेयर के भूमि–स्वामी पटटा स्वीकृत करने का इंद्राज है। आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी के साथ वादग्रस्त भूमि के खसरा की कंप्यूटीकृत प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई। जिसमें खसरा नंबर 37/7/1 पर रकवा 22.144 हैक्टेयर शासकीय मद में दर्ज है। आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी के साथ तहसीलदार के समक्ष बाद में वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करने वावद प्रस्तुत आवेदनपत्रों की पावतियां भी प्रस्तुत कीं गईं हैं। जिनमें आवेदकगण द्वारा उपरोक्त पटटों के आधार पर नाम दर्ज करने की मांग तहसीलदार ओरछा से की है, किन्तु उन पर कोई कार्यवाही न होना बताया है। आवेदकगण द्वारा अपने शपथपत्र भी उपरोक्त पटटा प्राप्त होने तथा पटटा प्राप्त होने के पूर्व से वादभूमि पर काबिज होने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्कों में बताया है कि आवेदकगण का कब्जा विकास बिकल्प जो खसरा नं0 37/7/2 में स्थित है से लगकर है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत यह तथ्य प्रमाणित है कि आवेदकगण को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के बिधिवत पटटा नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा प्रदान किये गये थे, जिस भूमि पर वह आज भी काबिज हैं।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(4) निगरानी प्रकरण क्रमांक– 2561 /1/2016 अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों के आधार पर यह स्वमेव निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार ओरछा को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदकगण का नाम उपरोक्त पटटों के आधार पर ग्राम बबेड़ी जंगल स्थित भूमि, खसरा नंबर 37/7/1 पर भूमि–स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में दर्ज करें। संबंधित सूचति हों। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो । सदस्य	